न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2012/00126

1. राम दयाल आत्मज स्वर्गीय श्री हीरापूरी मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. दुर्गी बाई पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
   1/2. अन्ती बाई पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
   1/3. पूजा पूत्री पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. नन्दापूरी आत्मज स्वर्गीय श्री हीरापूरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज देव्याजी उर्फ देवपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ कलां तहसील रामगंजगण्डी जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. शिवजी आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/2. प्रकाश आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/3. छोटू आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/4. प्रेमबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी गोपाल जी जाति गुसाई निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/5. स्यानीबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी छीतरलाल जाति गुसाई निवासी ग्राम दोलाई तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
   1/6. रामकंवरी बाई पत्नी स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी गोपाल जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
2. गोपी आत्मज देव्याजी उर्फ देवपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

3.पार्वती बाई पुत्री देव्याजी उर्फ देवपुरी पत्नी रामचन्द्र जी जाति गुंसाई निवासी ग्राम खेता खेड़ा तहसील भवानीमण्डी जिला झालावाड़।

4.चतुर्भुज पुत्र हीरापुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

4/1. सुगना बाई बेवा चतुभुर्ज

4/2. दुर्गालाल आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज

4/3. अनिल आत्मज स्व0 चतुर्भुज

4/4. काली बाई पुत्री स्वर्गीय चतुर्भुज जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

4/5. निशा बाई पुत्री चतुर्भुज नाबालिग जरिये वलिया माता स्वयं सुगना बाई बेवा चतुर्भुज जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

5. सज्जन बाई पुत्री हीरापुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी हाल ग्राम खीमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या– 2012/00121

1. राम दयाल आत्मज स्वर्गीय श्री हीरापूरी मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1. दुर्गी बाई पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

1/2. अन्ती बाई पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

1/3. पूजा पूत्री पुत्री स्व0 रामदयाल जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

2. नन्दापूरी आत्मज स्वर्गीय श्री हीरापूरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज देव्याजी उर्फ देवपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ कलां तहसील रामगंजगण्डी जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1. शिवजी आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

1/2. प्रकाश आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

1/3. छोटू आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

1/4. प्रेमबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी गोपाल जी जाति गुसाई निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

1/5. स्यानीबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी छीतरलाल जाति गुसाई निवासी ग्राम दोलाई तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1/6. रामकंवरी बाई पत्नी स्व0 रामचन्द्र जी पत्नी गोपाल जी जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

2. गोपी आत्मज देव्याजी उर्फ देवपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

3.पार्वती बाई पुत्री देव्याजी उर्फ देवपुरी पत्नी रामचन्द्र जी जाति गुंसाई निवासी ग्राम खेता खेड़ा तहसील भवानीमण्डी जिला झालावाड़।

4.चतुर्भुज पुत्र हीरापुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

4/1. सुगना बाई बेवा चतुभुर्ज

4/2. दुर्गालाल आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज

4/3. अनिल आत्मज स्व0 चतुर्भुज

4/4. काली बाई पुत्री स्वर्गीय चतुर्भुज जाति गुसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

4/5. निशा बाई पुत्री चतुर्भुज नाबालिग जरिये वलिया माता स्वयं सुगना बाई बेवा चतुर्भुज जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

5. सज्जन बाई पुत्री हीरापुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम सालेड़ा कलां तहसील रामगंजमण्डी हाल ग्राम खीमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक– अपीलांट की ओर से
दोनो अपीलों मे।

(2). रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2 –बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 19.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 93/2008 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2009 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथा दूसरी अपील अंतिम निर्णय व डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,53,54,188 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि (अ) ग्राम मोतीपुरा कलां तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नं0 174 की रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा एवं (ब) ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नं0 1509 की रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा की वादग्रस्त आराजी स्थित है। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी (अ) इस समय राजस्व रिकार्ड में वादी रामचन्द्र एवं हीरा एवं गोपी के समान हिस्से से शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। तथा वादग्रस्त आराजी (ब) इस समय राजस्व रिकार्ड में नन्दापूरी, सजनबाई व पार्वतीबाई के समान हिस्से से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जो कि पूर्व में मृतक खातेदार देवपुरी वल्द औकारपुरी कोम गुसाई के खातेदारी में दर्ज थी। देवपुरी को देव्या के नाम से भी संबोधित किया जाता था। वादपत्र मे सजरा परिवार प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी (अ) में फोती इंतकाल खोला जाकर मृतक देव्या उर्फ देवपुरी के स्थान पर वादी एवं हीरा व गोपी का नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है, लेकिन वादग्रस्त आराजी (ब) का फोती इंतकाल खोला जाकर मृतक खातेदार देवपुरी वल्द औकारपुरी कोम गुसाई के स्थान पर त्रुटिवश मात्र प्रतिवादी पार्वतीबाई व प्रतिवादी अपीलांट 2 व सजनबाई का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। जबकि उक्त फोती इंतकाल मृतक खातेदार देवपुरी वल्द औकारपुरी कोम

गुस्ताई के सभी वैध वारिसान के पक्ष में खोला जाना था। जिसकी वजह से प्रतिवादीगण प्रतिवर्ष फसल बोते समय वादी को उसके 1/4 हिस्से की आराजी पर काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर वादी के साथ झगडा करते रहते है। तथा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चेचट मे वादी का नाम खातेदारी मे दर्ज नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चेचट के खाते मे वादी का नाम दर्ज कराने हेतु एवं समस्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन करानेएवं ग्राम चेचट स्थित आराजी मे से 1/4 हिस्सा वादी के खाते दर्ज कराने तथा समस्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ मना कर दिया। अन्त मे वादपत्र की मद संख्या (ब) मे वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चेचट मे वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया साथ ही वादपत्र की मद संख्या 1(अ) एवं (ब) मे वर्णित वाके ग्राम मोतीपुराकलां एवं वाके ग्राम चेचट स्थित वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मौके पर विभाजन कर वादी के हिस्से की आराजी को विभाजन से पृथक कर वादी के खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गए। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 22.06.2009 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर ग्राम चेचट के खाता सं0 269 खसरा नं0 1509 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में 1/4 हिस्सा का वादी रामचन्द्र को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया तथा दावा प्रारम्भिक डिक्री किया गया। नायब तहसीलदार चेचट को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे नायब तहसीलदार चेचट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30.09.2009 को वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चेचट व ग्राम मोतीपुरा कलां मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

5. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2009 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ने दोनो अपीलें इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है।

दोनों अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियांद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व दोनों पत्रावलीयां वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से दोनों अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तथा दोनों अपीलों मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया है। हमने दोनो अपीलों मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों का अवलोकन किया। न्यायहित मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2009 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2009 न्याय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो0 नं0 01 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन आराजी अंतिम रूप से डिक्री फरमाकर ग्राम चेचट की खसरा नम्बर 1509 की 19 बिस्वा भूमि पूर्वी तरफ की एवं ग्राम मोतीपुरा कलां की खसरा नं0 174 की 01 बीघा 6 बिस्वा भूमि पश्चिमी तरफ की वादी रेस्पो0 01 को विभाजन में दिए जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मोतीपुरा कलां की खसरा नं0 174 की 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पूर्वी तरफ की रेस्पो0 नं0 02 गोपी को दिए जाने का निर्णय व प्राथमिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 01 रामदयाल को सूचना दिए बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उस पर सम्मन को गलत रूप से तामिल होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट नं0 01 को न तो व्यक्तिगत रूप से कोई सम्मन प्राप्त हुआ और न ही प्रतिवादी अपीलांट नं0 01 ने किसी सम्मन को लेने

से इन्कार किया। और न ही प्रतिवादी अपीलांट ने उसके मकान पर कोई सम्मन चस्पा किया हुआ देखा। अधिवक्ता अपीलांट ने कहा कि अपीलांट नं0 01 का भाई चतुर्भुज व अपीलांट नं0 01 पृथक पृथक निवास करते है तथा उनके मध्य अच्छे संबंध नहीं है और न ही आपस में कोई बोलचाल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन पर चस्पान्दगी के आधार पर अपीलांट नं0 01 पर सम्मन को तामिल होना मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट 01 को जवाब दावा प्रस्तुत करने, शहादत प्रस्तुत करने, वादी रेस्पो0 नं0 01 व उसके गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट नं0 02 नन्दापुरी को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उस पर सम्मन को गलत रूप से तामिल होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई सम्मन अपीलांट नं0 02 को न तो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ और न ही अपीलांट नं0 02 ने किसी सम्मन को लेने से इन्कार किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट नं0 02 को प्रेषित सम्मन पर चस्पान्दगी के आधार पर अपीलांट नं0 02 पर सम्मन को तामिल होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट 02 को जवाब दावा प्रस्तुत करने, शहादत प्रस्तुत करने, वादी रेस्पो0 नं0 01 व उसके गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। समस्त प्रतिवादीगण पर सम्मन की नियमानुसार तामील हुई है या नहीं, इस तथ्य को देखा जाना अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी का विधिक दायित्व था। अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम चेचट, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा संख्या 1509 की रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर वादी रेस्पो0 01 का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा कब्जा नहीं है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण अपीलांट के पिता श्री हीरा पुरी जी के खाते एवं कब्जे की

थी जो उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके वारिसान प्रतिवादी अपीलांट्स तथा रेस्पो0 नं0 04 व 05 के खाते दर्ज हुई थी। उपरोक्त भूमि देव्या जी के खाते की होना वादी रेस्पो0 01 द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। उपरोक्त भूमि कभी भी देव्या जी के खाते दर्ज नहीं रही थी। ग्राम चेचट की उपरोक्त भूमि के बाबत वादी रेस्पो0 नं0 01 को दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। ग्राम चेचट की खसरा नं0 1509 की 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अपीलांट नं0 02 का तन्हा कब्जा है। वादी रेस्पो0 01 का उपरोक्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार चेचट को प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया था। नायब तहसीलदार साहब ने मौका नहीं देखा तथा प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार नहीं की। कानूनगो एवं पटवारी की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण, अपीलांट्स की गैर मौजुदगी में तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन आराजी का अंतिम निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट अपीलांट की गैर मौजूदगी मे अपीलांट को सूचना दिये बिना ही तैयार की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट आने पर भी अपीलांट को सूचना दिये बिना ही एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर हुक्म जैर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाने एवं गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2013(2) पेज 985–987, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेन्ट्री) पेज 20–22, आर.बी.जे. 2017 पेज 299–308, आर.आर.टी. 2018–19(सप्लीमेन्ट्री) पेज 21–22, आर.आर.टी. 2014–15(सप्लीमेन्ट्री) पेज 414 से 417, आर.एल.डब्ल्यु. 2002 आर.जे. पेज 100, आर. आर.टी. 2018–19(सप्लीमेन्ट्री) पेज 145, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 469, आर.आर.डी. 1975 पेज 287 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2009 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

9. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 19.01.2009 पर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नोटिस बाद तामील प्राप्त होने तथा उनके बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से का अंकन है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 को जारी सम्मन नोटिस पर चस्पानगी किए गए है। चस्पानगी की कोई परिस्थिति अंकित नहीं है। हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश मे सहमत है कि तामील सम्यक रूप से प्रोपर होनी चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की विधिवत् तामील नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना मानकार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु नायब तहसीलदार चेचट को कमिश्नर नियुक्त किया गया। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 3 व 5 को सम्यक रूप से प्रोपर तामील होकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय अपीलांट जानकारी के अभाव मे उपस्थित नहीं हो सका । विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की कोई सूचना भी अपीलांट को नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव भी अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार किया गया है । इसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो विधिपूर्वक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्टगण की ओर से अपीलांट के कथनों का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अपीलांट के कथनों को बल प्रदान हुआ। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2009 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2009 पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता हे।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें, अपील संख्या 2012/00126 तथा 2012/00121 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 93/2008 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2009 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक

30.09.2009 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलांट सहित उभयपक्षकारान को को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर विधिसम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। अपीलांटगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2023 को उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा